न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 147/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00144**

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री तारूराम जाति मोची निवासी सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री विकास जैन – अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 18.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.02.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 267 की 6.325 हैक्ट. टीसी आवंटित भूमि है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल को आवंटित थी। तहसीलदार सूरतगढ़ ने उक्त टीसी आवंटन को अपने आदेश दिनांक 07.06.2006 द्वारा खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.06.2006 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2020 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 267 का 25 बीघा रकबा है जो पूर्व केवल एक वर्ष के लिए बिना कमेटी के गठन के टीसी आवंटन नियमों के विरूद्ध अस्थाई आवंटी मदनलाल को हुआ था। सम्वत् 2043 के बाद उक्त विवादित रकबा का नवीनीकरण कभी नहीं हुआ। उक्त रकबा नगर पालिका सूरतगढ़ की 2 किमी की परिधि में होने से पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण न तो खातेदारी अधिकार मिल सकते है और न ही टीसी आवंटन का नवीनीकरण किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये कानूनी प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर पेश हुई थी। उक्त रकबा टीसी आवंटन निरस्त होने के पश्चात रकबा राज होने के बाद इस रकबा की नियमानुसार राशि जमा होने के बाद यह रकबा नगरपालिका को हस्तांनातरण किया है। उक्त विवादित रकबा का कब्जा दिनांक 06.09.2006 को तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश से नगर पालिका सूरतगढ़ को स्थानान्तरित हो गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर पालिका सूरतगढ़ का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में नगर पालिका सूरतगढ़ पक्षकार नहीं है। तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं अपीलांट का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट का यह पक्ष है कि उक्त विवादित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने से उक्त रकबा पर अपीलांट का अधिकार है, जो अनुचित है उक्त रकबा ज्यादा दूरी पर हैं। वर्तमान में आवंटी के वारिसान मौके पर काबिज है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। पैराफरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के नियम व पद्वति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार लेने के अधिकार है। नगर पालिका सूरतगढ़ को अपील करने का लोकस्टेण्डाई नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 267 की 6.325 हैक्ट. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम टीसी आवंटीत भूमि है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के टीसी आवंटन को निरस्त कर कब्जा नगर पालिका को सौप दिया गया। उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इस रकबा भूमि की ना तो कभी रकम जमा करवाई व ना ही कभी उत्तरवादी के नाम इस रकबा का नवीनीकरण हुआ। टीसी आवंटन एक साल के लिए ही होता है और पेशा भी खेती होना आवश्यक है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पेशा खेती नही है। इस वादगत भूमि का स्वामित्व नगरपालिका सूरतगढ़ के पास होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है जो उचित नही है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.02.2020 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर